Form No. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

राजस्व वाद सं. 2024/155 बअनवान विमला कुमारी बनाम स्व. सुखी के का.मु. दरगाराम वगैरा
अपील अंतर्गत धारा 75 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुये
06/08/24	पत्रावली पेश हुई। वकील अपीलांट श्री गणपतलाल चौधरी उप। रेस्पोंडेंट सं. 1 से 7 अनुपस्थित। वकील अपीलांट श्री गणपतलाल चौधरी की बहस सुनी गई। पत्रावली व उपलब्ध रेकर्ड का अध्ययन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड विवादास्पद नामांतरणकरण सं. 189 स्वीकृति दिनांक 09.12.2004 का भी अवलोकन किया गया। नामांतरणकरण में दर्ज इन्द्राज के अनुसार लका पिता जेठा के देहांत के पश्चात सुखी पुत्री लका 1/2 हिस्सा के सहखातेदारान रूपा के वारिसान के साथ दर्ज किया गया तथा कॉलम सं. 16 में प्रार्थी की पत्नि का दुसरी शादी करने का अंकन किया गया। अपीलांट ने अपनी अपील में मुख्य अनुतोष यही चाहा है कि सुखी उसकी भुआ है तथा स्व लका की एकमात्र वारिस अपीलांट ही है। जो हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 8 की अनुसूची प्रथम में वर्णित वारिस होने से उक्त नामांतरणकरण को निरस्त किया जावें। विद्वान वकील अपीलांट ने मयाद के बिन्दु पर बहस में दलील दी गई कि विवादास्पद नामांतरणकरण की जानकारी अपीलांट को अपने पीहर पांचलवाडा गई तब वहा स्व लका के वारिस रेस्पोडेंट सुखी के वारिसान ने स्व. लका की सम्पत्ति में अपीलांट का कोई हक नही मानते हुये उनकी सम्पत्ति के उपयोग व उपभोग से मना किया गया। इस पर नकल के लिए आवेदन पत्र दिनांक 24.01.2024 को पेश किया जिसकी नकले दिनांक 02.02.2024 को प्राप्त हुई। नकले प्राप्त होने पर बिना किसी देरी के उक्त अपील दिनांक 28.02.2024 को न्यायालय में पेश कर दी गई थी। जिस अपील को अंदर अवधि काल मानते हुये ग्राम पांचलवाडा का विवादास्पद नामांतरणकरण सं. 189 दिनांक 09.12.2004 ABINITIO VOID होने से निरस्त करते हुये स्व. लका पिता जेठा के हिस्से में रेस्पोडेंट की जगह अपीलांट का नाम दर्ज किये जाने के आदेश पारित किये जाने की दलील दी। पत्रावली व उपलब्ध रेकर्ड के अध्ययन व वकील अपीलांट की बहस पर मनन के पश्चात लिमिटेशन एक्ट में वर्णित प्रावधानों के तहत अपीलांट की अपील अंदर मयाद मानी जाती हैं। नामांतरणकरण सं. 189 पर की गई दो विरोधाभास प्रविष्टियां उक्त म्यूटेशन को स्वीकृत करना संदेहास्पद प्रकट करती है। उक्त अपील अपीलांट स्वीकार की जाती है। ग्राम पांचलवाडा स्थित भूमि खसरा नंबर 74, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 85, 89 कुल खसरा 09 कुल रकबा 16.91 हैक्टर के रिकार्ड में दर्ज सहखातेदार लका पिता जेठा के देहांत के पश्चात दाखिल व स्वीकृत नामांतरणकरण सं. 189 दिनांक 09.12.2004 को निरस्त किया जाता है। प्रकरण तहसीलदार बाली को प्रतिप्रेषण कर निर्देश दिये जाते है कि स्व. लका पुत्र जेठा के विधिक वारिसान की समुचित जांच करते हुये नियमानुसार नये सिरे से नामांतरणकरण की कार्यवाही कर आदेश प्राप्ति के 15 दिन की अवधि में न्यायालय को अवगत करावें। पत्रावली पर उपलब्ध नामांतरणकरण सं. 189 की सत्यापित प्रति के साथ आदेश प्रति तहसीलदार बाली को पालनार्थ भिजवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो। सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, बाली	

Scanned with CamScanner